दिनांक 12.03.2021 को जमरानी पेयजल बहुउद्देशीय परियोजना के पुनर्वास कार्यों हेतु गठित समन्वय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 12.03.2021 को उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1943(1)/ II (2)/2020–17(06)/2015, दिनांक 23.10.2020 द्वारा गठित समन्वय समिति की बैठक आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारियों एवं बांध प्रभावित क्षेत्र के ग्रामों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1. श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, आयुक्त कुमाऊँ मण्डल – अध्यक्ष।
2. श्री धीराज सिंह गर्ब्याल, जिलाधिकारी नैनीताल – सदस्य सचिव।
3. श्रीमती रंजना राजगुरु, जिलाधिकारी उधमसिंहनगर –सदस्य।
4. श्री संजय शुक्ल, अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल जमरानी, हल्द्वानी।
5. श्री प्रशान्त विश्नोई, महाप्रबन्धक, पी0आई0यू0 जमरानी बांध परियोजना हल्द्वानी।
6. श्री नारायण सिंह नबियाल, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी नैनीताल।
7. श्री बी0 बी0 पाण्डे, अधिशासी अभियन्ता(पुनर्वास),जमरानी बांध निर्माण खण्ड–2,हल्द्वानी।
8. श्री नवीन चन्द्र, चयनित प्रतिनिधि ग्राम तिलवाडी।
9. श्री प्रताप राम, चयनित प्रतिनिधि ग्राम तिलवाडी।
10. श्री हरेन्द्र सिंह, चयनित प्रतिनिधि ग्राम मुरकुडिया।
11. श्री नारायण सिंह, चयनित प्रतिनिधि ग्राम मुरकुडिया।
12. श्री राघवेन्द्र सम्मल, चयनित प्रतिनिधि हैडाखान मन्दिर समिति।
13. श्री चिराग बोरा, चयनित प्रतिनिधि ग्राम पनियाबोर।
14. श्री गोपाल सिंह, चयनित प्रतिनिधि ग्राम गनराड।
15. श्री दीवान सिंह, चयनित प्रतिनिधि ग्राम उडुवा।
16. श्री वीरबल सिंह, चयनित प्रतिनिधि ग्राम उडुवा।
17. श्रीमती षष्टी राघव, चयनित प्रतिनिधि ग्राम पस्तोला।
18. श्री हरेन्द्र बोरा, चयनित प्रतिनिधि ग्राम पनियाबोर।
19. श्री जीवन सिंह, चयनित प्रतिनिधि ग्राम गनराड।

2. बैठक में सर्वप्रथम गत बैठक दिनांक 12.01.2021 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार चर्चा की गई।

(1) कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 01 के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, पी0आई0यू0 जमरानी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में ग्राम मुरकुडिया की भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हुआ है। आयुक्त महोदय द्वारा अवशेष 05 ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य 01 माह में पूर्ण कराये जाने की वांछना की गई।

(कार्यवाही राजस्व विभाग तथा पी0आई0यू0 जमरानी।)

(2) कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 02 के के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, पी0आई0यू0 जमरानी द्वारा अवगत कराया गया भूमि अध्याप्ति अधिनियम 2013 लागू होने के उपरान्त विभिन्न परियोजनाओं के तुलनात्मक विवरण तैयार कर जमरानी परियोजना की ड्राफ्ट पुनर्वास नीति तैयार की गई है।

(3) कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 03 के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, पी0आई0यू0 जमरानी द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। आयुक्त महोदय द्वारा वांछना की गई कि उक्त के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन स्तर से उत्तर प्रदेश शासन से एम0ओ0यू0 के अनुरुप उत्तराखण्ड राज्य को प्राप्त होने वाली धनराशि के सम्बन्ध में पत्राचार किया जाए।

(कार्यवाही पी0आई0यू0 जमरानी।)

(4) कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 04 के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, पी0आई0यू0 जमरानी द्वारा अवगत कराया गया कि बिन्दु 01 के अनुरुप कार्यवाही चल रही है।

(5) कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 05 के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, पी0आई0यू0 जमरानी द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना की ड्राफ्ट पुनर्वास नीति तैयार हो जाने के उपरान्त ग्रामवासियों के साथ बैठकों हेतु समय सारिणी बनायी जाएगी। आयुक्त महोदय द्वारा वांछना की गई कि उक्तानुसार कार्यवाही के अतिरिक्त ग्रामवासियों के साथ नीति निर्धारण हेतु निरन्तर परामर्श किया जाए।

(कार्यवाही पी0आई0यू0 जमरानी।)

(6) कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 07 के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, पी0आई0यू0 जमरानी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद चम्पावत में उत्तर प्रदेश शासन के स्वामित्व की भूमि को उत्तराखण्ड राज्य को हस्तान्तिरित किए जाने हेतु समय समय पर उत्तराखण्ड शासन से पत्राचार किया जा रहा है।

3. इसके उपरान्त RFCTLARR Act 2013 लागू होने के उपरान्त विभिन्न परियोजनाओं की पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीतियों के तुलनात्मक विवरण पर चर्चा करते हुए प्रस्तावित जमरानी बांध पुनर्वास नीति हेतु निम्नानुसार निर्णय लिए गए—

(1) प्रभावित कुटुम्ब की परिभाषा को पंचायती राज अधिनियम में दी गई परिभाषाओं के अनुरुप परिभाषित किए जाने के सुझाव पर पुनर्वास नीति में विचार किया जाए।

(2) भूमि से जुड़ी आस्तियों के प्रतिकर के निर्धारण हेतु भवनों के मूल्यांकन में मूल्य ह्रास के आधार पर मूल्यांकन के बजाय DSR के आधार पर वर्तमान में निर्माण लागत का आंकलन कर तदनुसार प्रतिकर निर्धारण की व्यवस्था रखी जाए।

(3) विस्थापन की दशा में मकान ईकाईयों की व्यवस्था के प्राविधान के सम्बन्ध में निर्मित किए जाने वाले मकान हेतु इन्दिरा आवास योजना के नवीनतम मानकों के अनुरुप धनराशि का प्राविधान किया जाए।

(4) 'भूमि के लिए 'भूमि' के प्राविधान के सम्बन्ध में आवंटित की जाने वाली भूमि के मूल्य समायोजन में स्पष्टता हेतु उदाहरण इंगित किया जाए।

(कार्यवाही पी0आई0यू0 जमरानी।)

4. परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कार्यों हेतु प्रारम्भिक आंकलन के सम्बन्ध में अवगत कराये जाने पर आयुक्त महोदय द्वारा विस्तृत आंकलन जिसमें पुनर्वास स्थल की भूमि के मूल्य को भी सम्मिलित करते हुए तैयार किए जाने की अपेक्षा की गई।

(कार्यवाही पी0आई0यू0 जमरानी।)

5. परियोजना प्रभावित ग्रामों के प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक परिचय के उपरान्त उपस्थित प्रतिनिधियों को पी0आई0यू0 जमरानी द्वारा सितारगंज में चिन्हित जेल कैम्प की भूमि में प्रस्तावित पुनर्वास योजना के Animation Video का प्रस्तुतीकरण किया गया। उपस्थित प्रतिनिधियों से प्रस्तावित पुनर्वास योजना के सम्बन्ध में सुझाव, जिज्ञासायें एवं प्रश्न आमंत्रित किए गए, जिसके क्रम में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा पुनर्वास नीति के सम्बन्ध में प्रस्तुत जिज्ञासा/सुझाव एवं उनके सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों का सार निम्नवत है:—

(1) श्रीमती खष्टी राघव, ग्राम प्रधान पस्तोला द्वारा पुनर्वास हेतु वर्तमान में चिन्हित भूमि के पर्याप्त होने के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई। महाप्रबन्धक पी0आई0यू0 जमरानी द्वारा अवगत कराया गया कि पुनर्वास कार्यों हेतु लगभग 40 एकड अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है जिसे राजस्व विभाग के सहयोग से शीघ्र ही चिन्हित किया जाएगा।

(कार्यवाही जिलाधिकारी उधमसिंहनगर एवं पी0आई0यू0 जमरानी।)

(2) श्री नारायण सिंह सम्मल, ग्राम मुरकुडिया द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय एवं कृषि भूमि एक साथ आवंटित किए जाने पर विचार किया जाए। आयुक्त महोदय द्वारा अपेक्षा की गई कि, उक्तानुसार कार्यवाही किए जाने की संभावना पर विचार किया जाए।

(कार्यवाही पी0आई0यू0 जमरानी।)

(3) श्री जीवन सिंह, ग्राम मुरकुडिया द्वारा सितारगंज में पुनर्वास हेतु चिन्हित भूमि में जलभराव रोकने व बाढ़ सुरक्षा कार्य किये जाने का सुझाव दिया गया।

(4) श्री नवीन पलडिया, ग्राम तिलवाडी द्वारा प्रभावित ग्रामों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देते हुए सितारगंज जेल परिसर की नदी से लगी भूमि के स्थान पर आवासीय एवं व्यवसायिक गतिविधियों हेतु हाइवे से लगी भूमि चिन्हित कराये जाने का अनुरोध किया गया जिससे उन्हें रोजगार का विकल्प मिल सके। आयुक्त महोदय द्वारा जिलाधिकारी उधमसिंहनगर को राजस्व विभाग की टीम गठित कर उक्तानुसार भूमि चिन्हित करवाकर ग्रामवासियों को मौका मुआयना करवाये जाने की अपेक्षा की गई।

(कार्यवाही जिलाधिकारी उधमसिंहनगर एवं पी0आई0यू0 जमरानी।)

(5) श्री वीरवल सिंह, ग्राम उडुवा द्वारा उनके ग्राम की Connectivity का विषय उठाया गया। अवगत कराया गया कि वर्तमान में ग्रामवासियों द्वारा वर्षाकाल के अतिरिक्त अस्थायी व्यवस्था से नदी पार कर आवागमन किया जाता है। बांध निर्माण के फलस्वरुप झील बनने के उपरान्त उनका ग्राम वर्षभर निकटतम ग्रामों से पूर्णतः विच्छेदित हो जाएगा। साथ ही, उनके द्वारा परियोजना में स्थानीय युवकों को योग्यतानुसार रोजगार उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया। महाप्रबन्धक पी0आई0यू0 जमरानी द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना की ड्राफ्ट पुनर्वास नीति में परियोजना निर्माण उपरान्त संचालित होने वाली व्यवसायिक गतिविधियों में प्रभावित ग्रामों के निवासियों को प्राथमिकता दिए जाने सम्बन्धी प्राविधान जोडा

जाएगा। आयुक्त महोदय द्वारा ग्राम की Connectivity के विषय में परियोजना अधिकारियों को परीक्षण कर समुचित कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गई।

(कार्यवाही पी0आई0यू0 जमरानी।)

6. अन्त में, आयुक्त महोदय द्वारा उपस्थित ग्राम प्रतिनिधियों से एक सप्ताह में ग्रामवासियों से वार्ता कर सितारगंज स्थित भूमि के पुनः भ्रमण हेतु तिथि से पी0आई0यू0 जमरानी को अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया। अगली बैठक एक माह में पुनः आयोजित किए जाने के निर्णय सहित बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
सदस्य सचिव
समन्वय समिति
जमरानी बांध परियोजना।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

पत्रांक : 145 /पी0आई0यू0/बैठक / दिनांक 12.03.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. सचिव सिंचाई एवं पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त महोदय, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. प्रबंध निदेशक यू0पी0डी0सी0सी0/प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।
6. महाप्रबन्धक, पी0आई0यू0 जमरानी पेयजल बहुउद्देशीय परियोजना हल्द्वानी।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
सदस्य सचिव
समन्वय समिति
जमरानी बांध परियोजना।